

सख्या. शिक्षा-एच(20)जी-जलपान/2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर विभाग
31 JAN 2023
2023

दिनांक: शिमला-171001

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-1 में कैंटीन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा -दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। निविदाएं दिनांक 14.02.23 को 200 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला-1 में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 300 बजे अपराहण को निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। लिफाफे के उपर निविदाएं कैंटीन शिक्षा निदेशालय 2023-24 अंकित किया जाए। टैंडर के साथ प्रतिभूति राशि मुबलिंग 10,000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना अनिवार्य होगा। नियम व शर्तें निदेशालय की वेबसाइट- www.education.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश
2023

पृष्ठांकन सख्या. सम दिनांक शिमला-1

1. निदेशक लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि टैंडर नोटिस का प्रकाशन हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में करने की कृपा करें।
2. अधीक्षक (कम्प्युटर शाखा) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र को निदेशालय तथा लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर डालें।
3. नोटिस बोर्ड शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हि0 प्र0।
4. कार्यालय/ रक्षक नरित।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर विभाग
31 JAN 2023

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

सख्या: शिक्षा-एच(20)जी-जलपान/2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-171001

,2023

निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-1 में कैन्टीन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा -दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। निविदाएं दिनांक 14.02.23 को 2 00 बजे अपराहण या इससे पूर्व शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला-1 में पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 3 00 बजे अपराहन को निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा खोली जाएंगी। लिफाफे के उपर निविदाएं कैन्टीन शिक्षा निदेशालय 2023-24 अंकित किया जाए। टैंडर के साथ प्रतिभूति राशि मुबलिंग 10,000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित है।

निविदा भरने की प्रक्रिया:-

तकनीकी निविदा :- **Technical Bid**

- तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता द्वारा मु0 10,000/- प्रतिभूति राशि जो कि A/c payee bank draft FDR duly pledged or bank guarantee के रूप में तैयार करें।
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र:- निविदादाता द्वारा किसी सरकारी कार्यालय व संस्था, बोर्ड, निगम कार्यालय में कैन्टीन/मैस चलाने का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- निविदा में दी गई शर्तों के अनुपालना हेतु वचन पत्र देगा।

वित्तीय निविदा:- **Financial Bid**

- विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुओं के सामने निविदादाता द्वारा अपनी दरे दी जाएगी।
- वित्तीय निविदा केवल उसी निविदादाता की खोली जाएगी जो कि तकनीकी निविदा में दी गई शर्तों एवं दस्तावेजों को पूर्ण करता हो।

नियम व शर्तें

- 1) इस टैन्डर की अवधि फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक होगी ।
- 2) कैंटीन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा , उसे सुरक्षित रखना कैंटीन ठेकेदार का कर्तव्य होगा । यदि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैंटीन ठेकेदार को करनी होगी ।
- 3) कैंटीन खोलने का समय प्रातः 8:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक होगा । इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा ।
- 4) कैंटीन के लिए पानी व बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।
- 5) कैंटीन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति /निष्पादन सुरक्षा राशि राशी अलग से 10,000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट/ सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो कोषाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी ।
- 6) कैंटीन होल्डर को कैंटीन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कैंटीन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नहीं करेगा तथा कैंटीन कर्मचारी ही कैंटीन में रात्री ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कैंटीन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
- 7) कैंटीन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।
- 8) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से कैंटीन किराये की राशि जो कि मुबलिग 2000/- रुपये होगी, प्रशासन के पास जमा करवाएगा ।
- 9) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उसे उसकी जमानत राशी का भुगतान निविदा का निर्णय होने के बाद वापिस कर दिया जाएगा ।
- 10) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 11) सफल निविदिदाता के साथ विभाग द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालना हेतु अनुबन्ध किया जाएगा ।
- 12) यदि सफल निविदिदाता विभाग/ कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं करेगा तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता /वजन/सर्विस ठीक न पाए जाने या अन्य किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है ।
- 13) यदि कैंटीन ठेकेदार द्वारा कैंटीन को ठीक प्रकार से नियमानुसार चलाता है तो टैन्डर की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश



करवाना सुनिश्चित करें।

यदि उपरोक्त दी गई सभी हिदायतें / शर्तें स्वीकार हो तो निविदा देने वाला अपनी निविदा शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशक-1 को दिनांक 14.02.23..... 2.00 बजे तक तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग-2 लिफाफों में बंद करने के पश्चात एक बड़े लिफाफे में दोनों लिफाफे डालें, और बड़े लिफाफे में "कैन्टीन निविदा उच्चतर शिक्षा निदेशकालय" लिखकर निर्धारित तिथि एवं समय तक निदेशकालय में जमा

16) किसी भी वाद विवाद का निपटारा शिक्षा निदेशक क्षेत्र में पड़ने वाले न्यायालय में ही होगा।

सभी को मान्य होगा।

15) निदेशकालय स्तर पर गठित कैन्टीन संचालन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील शिक्षा निदेशक को की जा सकती तथा शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम तथा

समिति को होगा।

14) किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार निदेशकालय स्तर पर गठित कैन्टीन संचालन

दर सूची कैंटिन शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	न्यूनतम मात्रा	दर
1	आलु पराठा (अचार)	5 (ईंच)	
2.	गोभी पराठा (अचार)	5 (ईंच	
3.	पनीर पराठा (अचार)	5 (ईंच	
4.	चना बटूरा (अचार)	2 भटूरे 75 ग्राम प्रत्येक, चना-1 कटोरी 200 ग्राम	
5.	वैज सैंडविच	70 ग्राम	
6.	खाना पूरा (फुल डाईट)	चावल (बासमती) चपाती, दाल, सब्जी, कडी/रायता, स्लाद (प्याज/मूली/खीरा आदि	
7.	खाना आधा	चावल-50 ग्राम- आधी प्लेट, चपाती- 2, सब्जी-100 ग्राम, दाल (1 कटोरी 200 मि ली) / कडी / रायता / स्लाद (प्याज / मूली / खीरा आदि)	
8.	दाल / सब्जी	1 कटोरी 200 मि०ली०	
9	चपाती (तवा)	प्रति	
10	चपाती (तदूर)	प्रति	
दोपहर खाने का विवरण	दिन	दालें	सब्जी
	सोमवार	राजमाह / माह राजमाह	घीया / फुल गोभी
	मंगलवार	सफेद चने / दलेमाह, चने	भिन्डी / गाजर मटर
	बुधवार	काले मसुर / मुग चने	फ्रासबीन / बन्दगोभी
	वीरवार	माह / अरहर	आलू शिमलामिर्च
	शुक्रवार	रोगी / कुल्थ	फुल गोभी / गाजर मटर / साग
	शनिवार	काले चने / मिक्स दाल	मौसमी सब्जी
11	चाय (ग्रीन)	150 मि ली	
12.	चाय	150 मि ली	
13.	काफी	150 मि.ली (दूध केवल)	
14	सूप (मिक्स, टोमेटो)	150 मि ली	
15.	शेक (केला व आम)	150 मि ली	
16.	पकोडे	प्रति किलो	
17	मटर	प्रति किलो	
18.	बेसन	प्रति किलो	
19.	मटठी	प्रति पीस	
20.	जलेबी	प्रति किलो	
21.	ब्रेड पकोडा (स्टफ)	70 ग्राम	
22.	समोसा	70 ग्राम	
23.	नमकीन	प्रति किलो	
24	फुट जुस	प्रति पकेट	
25.	दही	प्रति कटोरी	
26.	स्पेशल लच	<ol style="list-style-type: none"> 1. पनीर आइटम मटर पनीर / शाही पनीर / मटर मशरूम 2. सब्जी मौसमी / मिक्स 3. दाल (राजमाह, माह, मखनी, पीली दाल) 4. चपाती / पूरी 5. चावल बासमती 6. मिष्ठान 7. सलाद- मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर 	